संख्या-45/2025/आई/1019669/001-23-7099-44-2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 09 जुलाई, 2025

विषय- जनपद जालौन में आर्बीट्रेशन वाद सं0-27/2014 मै0 शान्ति कन्सट्रक्शन बनाम उ0प्र0 राज्य में आर्बीट्रेटर द्वारा घोषित एवार्ड दिनांक 13.02.2023 एवं मा0 कॉमर्शियल कोर्ट, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1525बी0जी0/209बी0(58)/2023-24, दिनांक 29.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जनपद जालौन में आर्बीट्रेशन वाद सं0-27/2014 मै0 शान्ति कन्सट्रक्शन बनाम उ0प्र0 राज्य में आर्बीट्रेटर द्वारा घोषित एवार्ड दिनांक 13.02.2023 एवं मा0 कॉमर्शियल कोर्ट, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के अनुपालन में भुगतान हेतु धनराशि रू0 5,55,62,442.00 (रूपये पांच करोड़ पचपन लाख बासठ हजार चार सौ बयालीस मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,55,62,442.00 (रूपये पांच करोड़ पचपन लाख बासठ हजार चार सौ बयालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-45/2025/आई/1019669/001-23-7099-44-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, उरई।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उरई।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
8- अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।